

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा  
वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

( दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in )

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/(लिंक नं.-125454/2023)/अलेसे-III/ 8697 दिनांक:- 28-10-2025

कार्यालय आदेश

श्रीमती मधु बाला बारोलिया, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं.-745398) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक 8042 दिनांक 17.09.2025 के द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमारण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण(अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

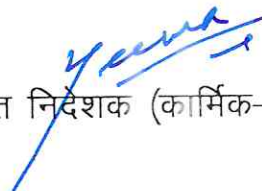
दिनांक 15.09.2025 से 19.09.2025 तक (कुल 05 दिवस)

उक्त असाधारण(अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्रीमती मधु बाला बारोलिया, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

  
(अमिता शर्मा)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/(लिंक नं.-125454/2023)/अलेसे-III/ 8697 दिनांक:- 28-10-2025  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसपीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
4. श्रीमती मधु बाला बारोलिया, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं.-745398) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (सर्तकता एवं प्रशासन), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)